न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1892–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–4–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 432/2012–13/अपील

.....

1 हरमीत सिंह पुत्र श्री गुरमुख सिंह
निवासी ग्राम मदनपुरा तहसील डबरा
जिला ग्वालियर म0 प्र0
2 परमजीत सिंह पुत्र श्री बरियाल सिंह
निवासी न्यूगड़ी सालमपुर तहसील भितरवार
जिला ग्वालियर म0 प्र0 आवेदकगण

विरूद्ध

1 फारूख कुरैशी पुत्र श्री अब्दुल कुरैशी
निवासी कम्पू ईदगाह ग्वालियर म0 प्र0
2 रमेश चन्द्र पुत्र श्री दयाराम
निवासी महाणिक की गोठ लश्कर, ग्वालियर म0 प्र0
3 किरन स्वरूप पुत्र श्री बाबूलाल
निवासी नानंगी बाई मंदिर लश्कर, ग्वालियर म0 प्र0 –अनावेदकगण
4 बलविन्दर कौर पत्नी श्री मल्कियत सिंह
निवासी मदनपुरा तहसील डबरा
जिला ग्वालियर म0 प्र0 –तरतीवी अनावेदक

– – – – –

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अजय शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री मनोज चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 3

– –

:: आ दे श ::

(पारित दिनांकः 27 मई, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–4–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30–1–2013 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष दिनांक 4–4–2013 को 63 दिन पश्चात से प्रस्तुत की गई है । अपर आयुक्त द्वारा अपील अवधि बाह्य होने से समाप्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा बटाकंन की कार्यवाही में आवेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि संहिता की धारा 41 के अंतर्गत बने नियमों के नियम 7 के अंतर्गत बिना पक्षकार को सुने आदेश पारित किया जाना अवैधानिक कार्यवाही है। यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 70 के नियम 4 एवं 5 का पालन नहीं किया गया है । अतः अपर आयुक्त द्वारा समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर अपील निरस्त करने में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि केवल 14 दिवस का विलंब था, जिसे क्षमा किया जाना चाहिये था, परन्तु ऐसा नहीं कर अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में बटाकंन एवं प्रस्तुत फर्दो पर कोई आपत्ति नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है और अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत

नहीं किया गया था, अतः अपर आयुक्त द्वारा अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अंत में कहा गया कि आवेदकगण द्वारा यह नहीं बतलाया गया कि बटाकंन कार्यवाही में क्या अवैधानिकता हुई है ।

5/ अनावेदक कमांक 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक के समक्ष आवेदकगण उपस्थित हुआ है और उनके द्वारा हस्ताक्षर भी किये गये है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु उनके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को सूचना दी जाकर सुनवाई का अवसर दिया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदकगण द्वारा अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई थी और अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने से अपर आयुक्त द्वारा अपील अवधि बाह्य मानने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–1–2013 के विरूद्ध द्वितीय अपील दिनांक 4–4–2013 को 63 दिन पश्चात प्रस्तुत की गई है । द्वितीय अपील के लिये 45 दिन की अवधि निर्धारित है और 4 दिन सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने में व्यतीत हुये है । इस प्रकार 63 दिन में से 49 दिवस कम करने पर अपील केवल 14 दिन विलंब से प्रस्तुत की गई है । इतने अल्प विलंब को न्यायिक दृष्टि से क्षमा किया जाना चाहिये ताकि प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण हो सके और पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । अतः अपर आयुक्त द्वारा अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त करने में न्यायिक त्रुटि की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–4–2013 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण गुणदोष पर निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, म0 प्र0
ग्वालियर